

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक: 28 जनवरी, 2011

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत शेड्यूल आफ रेट्स के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-2706/38-7-2008-एनआरईजीए/08 दिनांक: 28-11-08, जिसके द्वारा निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शेड्यूल आफ रेट्स का निर्धारण किया गया था, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।


2- इस संबंध में समय-समय पर योजनान्तर्गत महिलाओं की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-8165/38-7-2010-42एनआरईजीए/07 दिनांक: 29-12-10 एवं शासनादेश संख्या-290/38-7-2011-42एनआरईजीए/07 दिनांक: 17-01-11 द्वारा शेड्यूल आफ रेट्स में कतिपय संशोधन किये गये थे। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में प्रतिदिन मजदूरी रू० 100/- के स्थान पर सम्प्रति रू 120/- कर दिया गया है, जिसके संबंध में शासनादेश संख्या-जीआई-05/38-7-2011-42एनआरईजीए/07 दिनांक: 17-01-11 के माध्यम से उक्त दरें दिनांक: 01-01-2011 से प्रभावी कर दी गयी हैं।

3- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में अकुशल श्रमिकों को भारत सरकार द्वारा रू० 120/- प्रतिदिन मजदूरी की दर निर्धारित किये जाने तथा योजनान्तर्गत महिलाओं की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु समय-समय पर शेड्यूल आफ रेट्स में संशोधन किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में निर्धारित शेड्यूल आफ रेट्स की प्रचलित दरों में संशोधन किया जा रहा है। उक्त संशोधित दरें दिनांक: 01-01-2011 से प्रभावी होंगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
सचिव।

संख्या:- ५४२ (१)/३८-७-२०११ तददिनांक २८, जनवरी २०११

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (१) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/वन विभाग/सिंचाई विभाग/राजस्व विभाग/कृषि विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण अभि० सेवा विभाग/क्षेत्रीय विकास विभाग/कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग/श्रम विभाग/भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग/रेशम/मत्स्य/नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (२) राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- (३) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- (४) अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- (५) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभि०सेवा विभाग/लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (६) प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (७) निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (८) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (९) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (१०) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (११) समस्त परियोजना निदेशक, डीआरडीए उत्तर प्रदेश।
- (१२) गार्डबुक।

आज्ञा से



(आर०पी०सिंह),  
अनुसचिव।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यों के लिए  
संशोधित दर अनुसूची

क्रम सं०	कार्य की मद	एनआरईजीएस ग्राम्य विकास की दरें (रु० मे)	न्यूनतम मजदूरी रु० 120/- हेतु निष्पादित कार्य
1	न्यूनतम मजदूरी	120	-
2	साधारण मिट्टी में तालाब खोदने हेतु निष्पादित कार्य	2.00 घ०मी०	2.00 घ०मी०
3	झाड़ी सफाई		
	क. हल्की झाड़ी	1.80 प्रति व०मी०	66 व०मी० (11 मी० X 6मी०)
	ख. मध्यम/घनी झाड़ी	2.40 प्रति व०मी०	50 व०मी० (10 मी० X 5मी०)
4	साधारण मिट्टी में खुदाई का कार्य		
	क. सड़क राकफिल, डैम एवं तालाब से मिट्टी निकालने का कार्य	56.50 प्रति घ०मी०	2.12 घ०मी०
	ख. समोच्च बन्धी हेतु मिट्टी खुदाई कार्य	42.00 प्रति घ०मी०	2.85 घ०मी०
	ग. मिट्टी के ढेलों को तोड़ना तथा समोच्च बन्धी के लिए बराबर (ड्रेसिंग) करना	14.50 प्रति घ०मी०	8.33 घ०मी०
	घ. खेत तालाब	79 प्रति घ०मी०	1.51 घ०मी०
	च. वृक्षारोपण हेतु गद्दे-		
	0.9 X 0.9 X 0.9 मी० साइज के गद्दे	81.50 प्रति घ०मी०	1.47 घ०मी० (2.01 गद्दे)
	0.6 X 0.6 X 0.6 मी० साइज के गद्दे	81.50 प्रति घ०मी०	1.47 घ०मी० (6.8 गद्दे)
	0.45 X 0.45 X 0.45 मी० साइज के गद्दे	72 प्रति घ०मी०	1.66 घ०मी० (18.21 गद्दे)
	0.30 X 0.30 X 0.30 मी० साइज के गद्दे	72 प्रति घ०मी०	1.66 घ०मी० (61.48 गद्दे)
	छ. अन्य कार्य	-	-
5	स्ख मिट्टी में मिट्टी खुदाई कार्य (बुन्देलखण्ड एवं मिर्जापुर क्षेत्र)		
	क. रोड, राकफिल, डैम एवं तालाब से मिट्टी निकालना	69.50 प्रति घ०मी०	1.72 घ०मी०
	ख. समोच्च बन्धी हेतु मिट्टी खुदाई कार्य	53.00 प्रति घ०मी०	2.27 घ०मी०
	ग. मिट्टी के ढेलों को तोड़ना तथा समोच्च बन्धी के लिए बराबर (ड्रेसिंग) करना	16.80 प्रति घ०मी०	7.14 घ०मी०
	घ. खेत तालाब	103.00 प्रति घ०मी०	1.16 घ०मी०
	च. वृक्षारोपण हेतु गद्दे-		
	0.9 X 0.9 X 0.9 मी० साइज के गद्दे	92.50 प्रति घ०मी०	1.29 घ०मी० (1.76 गद्दे)
	0.6 X 0.6 X 0.6 मी० साइज के गद्दे	92.50 प्रति घ०मी०	1.29 घ०मी० (5.96 गद्दे)
	0.45 X 0.45 X 0.45 मी० साइज के गद्दे	81.50 प्रति घ०मी०	1.47 घ०मी० (16.15 गद्दे)
	0.30 X 0.30 X 0.30 मी० साइज के गद्दे	81.50 प्रति घ०मी०	1.47 घ०मी० (54.44 गद्दे)
	छ. अन्य कार्य	-	-
6	साफ्ट डिस्डिन्ट्रीगेटेड राक स्वायल में खुदाई कार्य		
	क. खेत तालाब	120.00 प्रति घ०मी०	1.00 घ०मी०
	ख. अन्य सभी कार्य	109.00 प्रति घ० मी०	1.10 घ०मी०

7	स्टोन वर्क— क. स्टोन टैरिसिंग पकिंग के लिए मजदूरी ख. खेत तालाब पर स्टोन पीचिंग ग. मिनी परकोलेशन टैंक पर पीचिंग घ. राकफिल डैग, स्टोन चैक्स तथा आउटलेट्स	72.00 प्रति घ0मी0 162.00 प्रति घ0मी0 162.00 प्रति घ0मी0 72.00 प्रति घ0मी0	1.66 घ0मी 0.74 घ0मी 0.74 घ0मी0 1.66 घ0मी0
8	समग्री चढ़ाई एवं उतराई क. 225 मी0मी0 एवं 300 मी0मी0 स्टोन क्वारी पर कलेक्शन सहित ख. बालू ग. ईट घ. सीमेण्ट क. पौधे	48.00 प्रति घ0मी0 96.00 प्रति ट्रैक्टर लोड 120.00 प्रति ट्रैक्टर लोड 2.00 प्रति बोरी 240.00 प्रति हजार	2.5 घ0मी0 1.25 ट्रैक्टर लोड 1.00 ट्रैक्टर लोट 50 बोरी 500 पौधे
9	वृक्षारोपण कार्य क. सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन ख. गद्दों का रेखांकन, ट्रैच एवं सी0पी0टी0 ग. कार्य स्थल तक ढुलाई घ. छोटे पौधे को कार्य स्थल से रोपण स्थल तक पहुंचाने की ढुलाई च. बड़े पौधे को रोपण स्थल तक पहुंचाने की ढुलाई छ. गद्दों में पौधे लगाने व रीफिलिंग का कार्य 0.30 X 0.30 X 0.30 मी0 0.45 X 0.45 X 0.45 मी0 0.60 X 0.60 X 0.60 मी0 1 X 1 X 1 मी0	15.50 प्रति 500 पौधे 24 प्रति सैकड़ा पौधे 24 प्रति सैकड़ा पौधे 24 प्रति सैकड़ा पौधे 43 प्रति सैकड़ा पौधे  0.60 प्रति पौधे 1.80 प्रति पौधे 3.60 प्रति पौधे 6.00 प्रति पौधे	3846 पौधे 500 पौधे 500 पौधे 500 पौधे 278 पौधे  200 पौधे 76 पौधे 34 पौधे 20 पौधे
10	मिट्टी कार्य व वीडिंग (1.0 मी0 व्यास एवं 0.1 मी0 गहराई) क. एवेन्यु रोपण ख. उद्यानीकरण	6.00 प्रति पौधा 6.00 प्रति पौधा	20 पौधे 20 पौधे
11	मिट्टी कार्य व वीडिंग (0.5 मी0 व्यास एवं 0.1 मी0 गहराई) क. सहमूह उद्यानीकरण/वृक्षरोपण ख. बायो डीजल पौध रोपण एवं अन्य रोपण	1.80 प्रति पौधा 1.80 प्रति पौधा	67 पौधे 67 पौधे
12	आकस्मिक पुनरोपण कार्य क. एवेन्यु उद्यानीकरण एवम् समूह रोपण हेतु गद्दों को पुनः खोलना ख. बैरन हिल वनीकरण एवं बायोडीजल पौध रोपण	6.00 प्रति पौधा 3.00 प्रति पौधा	20 पौधा 40 पौधा
13	प्रत्येक पौधे के देख-रेख, मिट्टी कार्य एवं बाड़ों की मरम्मत (ग्राम सभा की अनुसूचित जाति व जनजाति / बी0पी0एल0 पट्टेदार की भूमि पर लगाये गये पौधरोपण सहित)	120.00 प्रति दिन	एक दिन कार्य
14	बैरन हिल पर वनीकरण हेतु बायो फसिंग/स्टोन फेंसिंग कार्य क. नर्सरी/समूह रोपण कार्य (पौधों के कलेक्शन, ढुलाई एवं स्थल पर लगाने सहित) ख. एवेन्यु पौधरोपण (1 मी0 व्यास एवं 1.5 मी0 ऊँचाई की साइज के ह्यूम पाईप के स्थल पर ढुलाई सहित)	12.00 प्रति रनिंग मी0 45.40 प्रति संख्या 1200.00 प्रति एकड़	10 रनिंग मी0 2.64 स्थल —

	ग. अनुसूचित जाति/जनजाति/बी०पी०एल०/ पट्टेदार की भूमि पर उद्यानीकरण घ. अनुसूचित जाति/जनजाति/बी०पी०एल०/ पट्टेदार की भूमि पर किए गए उद्यानीकरण के फेंसिंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए अनुरक्षण कार्य	300 प्रति एकड़	-
15	गहरी जुताई- क. फालो लैण्ड एवं हाई ग्रवेल स्वायल (0.3 मी० से कम गहरी नहीं) के लिए ट्रैक्टर प्रयुक्त करना। ख. फालो लैण्ड (साधारण मिट्टी) (0.3 मी० से कम गहरी नहीं) के लिए ट्रैक्टर प्रयुक्त करना। ग. साधारण मिट्टी में कौटिल कल्टीवेटर (दोहरी जुताई)	1200.00 प्रति एकड़ 960.00 प्रति एकड़ 720.00 प्रति एकड़	1/10 एकड़ 1/8 एकड़ 1/6 एकड़
16	ड्राइवर सहित ट्रैक्टर से सभी सामानों की ढुलाई का किराया (8 घंटों के लिए)	900.00 प्रति दिन	-
17	एक एकड़ में एक गढ़वा बनाकर उससे ब्लाक प्लान्टेशन में सिंचाई	0.85 प्रति पौधा	140 पौधे
18	पौधों की हैण्ड पम्प/बोरवेल/ओपेनवेल से सिंचाई 30 मी० की दूरी तक	0.85 प्रति पौधा	140 पौधे
19	ब्लाक प्लान्टेशन की हैण्ड पम्प/बोरवेल/ओपेनवेल/गढ़वों से सिंचाई 30 मीटर से अधिक दूरी तक	1.20 प्रति पौधा	100 पौधे
20	गढ़वा भरने हेतु वाटर टंकर सहित ट्रैक्टर का भाड़ा	300 प्रति पक्कर (5000 ली० क्षमता का ट्रैक्टर)	-
21	गढ़वा खेदने के लिए (1.25 मी० व्यास 25 से०मी० ऊंची व 5 से०मी० मोटाई के लिए 5 रिंग, 1:4 अनुपात के सीमेण्ट मसाले में तथा 4 मिमी० मेटिल सहित)	1680.00 प्रति गढ़वा	-
22	खेत में ट्रैक्टर द्वारा सिल्ट छिड़कना	11.70 प्रति घ०मी०	10.25 घ०मी०
23	टोकरी द्वारा मिट्टी/बजरी की ढुलाई लीड व लिफ्ट सहित क. 10 मी० की प्रारम्भिक लीड के अतिरिक्त अन्य 10 मी० तक ख. 2.0 मी० की प्रारम्भिक लिफ्ट के अतिरिक्त अन्य 1.00 मी० तक	12.00 प्रति घ०मी० 12.00 प्रति घ०मी०	10 प्रति घ०मी० 10 प्रति घ०मी०

**नोट:-** 1- शासनादेश संख्या-8165/38-7-2010-42 एनआरईजीए/2007, दिनांक: 29-12-2010 के द्वारा ऐसे कार्य स्थलों पर जहाँ महिलाएं ही कार्य कर रही हों, वहाँ प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के जनपदों के मुख्य ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी कार्य हेतु महिला श्रमिकों के लिए क्रमशः 1.5 घ०मीटर की दरें उक्त शेड्यूल आफ रेट निर्धारित की जाय।  
2- जनपद-मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर(भदोही) एवं इलाहाबाद के यमुना पार के 04 विकास खण्ड-शंकरगढ़, मेजा, मांडा तथा कोरावं में महिलाओं के समूह के लिए शेड्यूल आफ रेट्स 1.3 घन मीटर निर्धारित करने हेतु शासनादेश संख्या- 290/38-7-2011-42 एनआरईजीए/2007, दिनांक: 17 जनवरी 2011 निर्गत किया गया है।  
कृपया उपरोक्तानुसार महिला अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित एस०ओ०आर० के अनुसार कार्य किया जाय।

*Manoj*  
(मनोज कुमार सिंह),  
सचिव।